

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020—भाद्र 20, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए-3-26-2019-1-पाँच (57).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-26-2019-1-पाँच-(53), दिनांक 29 जून 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, प्रथम परंतुक में, “जुलाई 2020 के 15वें दिन” अंकों और शब्दों के स्थान पर “अगस्त 2020 के 31वें दिन” अंक और शब्द रखे जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए-3-26-2019-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-26-2019-1-पाँच (57), दिनांक 11 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 11th September 2020

No.F A-3-26-2019-1-V (57).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department notification No. F A-3-26-2019-1-V (53) dated the 29th June, 2019, namely:—

In the said notification, in the third paragraph, in the first proviso, for the figures, letters and words “15th day of July, 2020”, the figures, letters and words “31st day of August, 2020” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.